अध्याय- 28

शिल्पकार प्रशिक्षण

28.1 श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार के रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय (डीजीईटी) ने देश में प्रौद्योगिकी एवं औद्योगिक विकास के लिए कुशल जनशक्ति पूर्ति हेतु विभिन्न व्यावसायिक व्यवसायों में कौशल प्रदान करने के लिए लगभग 50 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (औ०प्र०सं०) की स्थापना कर 1950 में शिल्पकार प्रशिक्षण योजना आरम्भ की। वर्ष 1980 में दक्षिण की राज्यों अधिकांशत: केरल, कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश में अनेक नए निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किए गए जहाँ से प्रशिक्षित शिल्पकारों को मुख्यत: खाड़ी देशों में रोजगार प्राप्त हुआ। 1980 में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की संख्या 831 थी तथा 1987 में यह बढ़कर 1887 हो गई। 1990 के दौरान औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई तथा इस समय 7.42 लाख सीटों की क्षमता वाले 5114 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (1896 सरकारी क्षेत्र में तथा 3218 निजी क्षेत्र में) हैं। अनुबंध 28.1 पिछले लगभग चार दशकों के दौरान विभिन्न राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में कार्य कर रहे औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की संख्या तथा उनके विकास को दर्शाती है। 01 अक्तूबर 2005 की स्थिति के अनुसार सरकारी एवं निजी क्षेत्र में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों/औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रों में सीट क्षमता में तुलनात्मक वितरण अनुबंध 28.2 में दर्शाया गया है।

28.2 भारत के संविधान के अंतर्गत, व्यावसायिक प्रशिक्षण, केंद्र तथा राज्य सरकारों दोनों का समवर्ती विषय है। राष्ट्रीय स्तर पर प्रशिक्षण योजनाओं का विकास करना, नीति तैयार करना, प्रशिक्षण मानकों, प्रक्रियाओं का निर्धारण करना, व्यवसाय परीक्षाओं का आयोजन करना, प्रमाणीकरण, इत्यादि केंद्र सरकार का दायित्व है जबकि प्रशिक्षण योजनाओं को कार्यान्वित करने का दायित्व अधिकांशत: राज्य/संघ शासित प्रदेश सरकारों का है।

28.3 केंद्र सरकार को, नियोक्ताओं, कामगारों तथा केंद्र/राज्य सरकारों, प्रशिक्षण विशेषज्ञों, वैज्ञानिकों, महिला संगठन तथा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग के प्रतिनिधियों वाले एक त्रिपक्षीय निकाय राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद् (एनसीवीटी) द्वारा परामर्श दिया जाता है। इसी प्रकार की परिषदें जिन्हें राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद् (एससीवीटी) के नाम से जाना जाता है, राज्य स्तरों पर संबंधित राज्य सरकारों द्वारा इसी उद्देश्य हेतु गठित की जाती हैं।

योजना का उद्देश्य :

- औद्योगिक/सेवा क्षेत्रों में अर्ध-कुशल कामगारों की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करना।
- सम्भावित कामगारों के सुव्यवस्थित प्रशिक्षण के माध्यम से औद्योगिक उत्पादन की गुणवत्ता एवं मात्रा में वृद्धि करना।
- शिक्षित युवाओं को उपयुक्त रोजगार हेतु आवश्यक कौशलों से लैस कर उनकी बेरोजगारी को दूर करना।

योजना की प्रमुख विशेषताएं:-

- योजना के अंतर्गत देशभर में व्याप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों/केंद्रों के माध्यम से 98 व्यवसायों (तालिका 28.3) के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

- विभिन्न व्यवसायों की प्रशिक्षण संबंधी आवश्यकताओं के आधार पर, प्रशिक्षण की अवधि 6 माह से 3 वर्षों की है तथा प्रवेश के लिए शैक्षणिक योग्यता 8वीं कक्षा पास से 12वीं कक्षा पास है।

- औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों/औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्रों में 14 से 40 वर्ष के अभ्यर्थी प्रवेश लेना चाहते हैं। महिला अभ्यर्थियों के मामले में सामान्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में महिला विशिष्ट औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों/महिला विंगों में उनके लिए कोई अधिकतम आयु सीमा नहीं है।

- औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों/औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्रों में वर्ष में दो बार अर्थात् अगस्त एवं फरवरी माह में प्रवेश दिया जाता है।

- प्रशिक्षण अवधि का लगभग 70% व्यावहारिक प्रशिक्षण के लिए नियत किया गया है जबकि शेष समय व्यवसाय सिद्धांत, कार्यशाला गणना एवं विज्ञान, इंजीनियरिंग ड्राइंग, सूचना प्रौद्योगिकी प्राइमर-1, पर्यावरण विज्ञान एवं परिवार कल्याण शामिल है एवं सामाजिक विज्ञान के लिए निर्धारित किया गया है।

- संबंधित राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद् की सिफारिशों के आधार पर जैसा उपयुक्त समझा जाता है सम्बद्ध राज्य सरकार द्वारा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में शिक्षा शुल्क निर्धारित किया जाता है। रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय/संघ शासित प्रशासन के अधीन आने वाले संस्थानों के मामले में शिक्षा शुल्क प्रति प्रशिक्षु 100 रूपये प्रतिमाह है। तथापि, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों तथा विकलांगों से कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा है।

- सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में समस्त प्रशिक्षुओं को वृत्तिका तथा कार्यशाला की वर्दी देने का प्रावधान है। उन्हें पुस्तकालय, खेल-कूद एवं चिकित्सा सुविधाएं भी प्रदान की जाती हैं। कुछ राज्यों में इस के लिए नाममात्र शुल्क लिया जाता है।

- सफलतापूर्वक प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरा करने के पश्चात् प्रशिक्षु राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद् के तत्वावधान के अंतर्गत आयोजित की जाने वाली अखिल भारतीय व्यवसाय परीक्षा में भाग लेते हैं। सफल प्रशिक्षुओं को राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण-पत्र (एन टी सी) प्रदान किया जाता है।

- अखिल भारतीय व्यवसाय परीक्षा वर्ष में दो बार अर्थात् जुलाई एवं जनवरी माह में आयोजित की जाती है।

- केन्द्र सरकार के तहत् अधीनस्थ पदों तथा सेवाओं में भर्ती के प्रयोजनार्थ राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण-पत्र को मान्यता प्राप्त है तथा राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण-पत्र धारकों को अर्ध-कुशल कामगार माना जाता है।

- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए संबद्ध राज्य/संघ शासित प्रदेशों में उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें आरक्षित की जाती हैं। राज्य सरकारों को शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए 3% सीट आरक्षित करने तथा महिला उम्मीदवारों के लिए 25% सीट आरक्षित करने संबंधी दिशा-निर्देश जारी किए जा चुके हैं तथा प्रत्येक राज्य/संघ शासित प्रदेश इन्हें सामान्य आरक्षण नीति के आधार पर भर सकता है तथा कुल 50% तक आरक्षण किया जा सकता है। रक्षा कार्मिकों के आश्रितों के लिए भी सीटें आरक्षित की गई हैं। अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए भी संबंधित राज्यों में सरकारी सेवा में आरक्षित सीटों के अनुपात में आरक्षण किया गया है।

- “चार केंद्रीय आदर्श औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (एमआईटीआई) में ब्राड-बेसड्

माड्यूलर प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। प्रशिक्षण के इस ढांचे में देश की बदलती हुई कौशल संबंधी आवश्यकताओं के अनुरूप प्रशिक्षण मॉड्यूल्स को पुन: अनुकूल बनाने की सुविधा है।

गुणवत्ता सुधार हेतु उठाए गए कदम : शिल्पकार प्रशिक्षण योजना के सुदृढ़ीकरण हेतु उठाए गए कदम :

- औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों/औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रों में दिए जाने वाले प्रशिक्षण की गुणवत्ता को बनाए रखने के उद्देश्य से राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद् (एनसीवीटी) द्वारा कई उपाय सुझाए गए जिनमें नए संस्थानों/व्यवसायों को आरम्भ करना तथा एनसीवीटी के साथ उनका संबंधन भी शामिल है।
- औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का एनसीवीटी के साथ संबंधन करने के लिए कड़े मानदंडों का अनुपालन किया जाता है जिसमें यह सुनिश्चित किया जाता है कि प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए मूलभूत सुविधाएं, योग्यता प्राप्त स्टाफ इत्यादि की व्यवस्था है।
- संबंधन किए गए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों/औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रों का मूल्यांकन करने की एक प्रक्रिया है जिसमें ऐसे संस्थानों/व्यवसायों के असंबंधन का प्रावधान है जो निर्धारित मानक बनाए नहीं रख पाते।
- इस अवधि के दौरान कुल 1262 संबंधन निरीक्षण रिपोर्टों की जांच की गई तथा राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद् के मानदंडों की पुष्टि करने वाली 1968 इकाइयों को संबंधन प्रदान किया गया। जिसके परिणाम स्वरूप 237 नए संस्थान खोले गए तथा सीट क्षमता में 31488 सीटों की वृद्धि हुई।
- जनवरी, 2004 को पाँच वर्ष से अधिक शिक्षण अनुभव वाले औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों/केद्रों के अप्रशिक्षित अनुदेशकों की बहुत बड़ी संख्या को प्रशिक्षित करने के लिए रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय के अधीन 11 संस्थानों में शिक्षा विज्ञान के पहलुओं को शामिल करते हुए शिक्षण के सिद्धांत (पी ओ टी) पर एक तीन माह का मॉड्यूल आरंभ किया गया। सफलतापूर्वक प्रशिक्षण कार्यक्रम पूर्ण करने के पश्चात् इन अनुदेशकों को प्रशिक्षित अनुदेशक माना जाता है।
- उद्योग में तेजी से बदलती हुई प्रौद्योगिकी के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए विभिन्न व्यवसायों की पाठ्यचर्या में सम्बद्ध व्यवसाय समितियों द्वारा आवधिक रूप से संशोधन किया जाता है। अप्रचलित व्यवसायों का समाप्त कर दिया गया है तथा उद्योग की आवश्यकता अनुरूप नए व्यवसायों को शामिल किया गया है। पिछले वर्ष के दौरान विभिन्न योजनाओं के 9 व्यवसायों की पाठ्यचर्या में संशोधन किया गया (3 शिल्पकार प्रशिक्षण योजना व्यवसाय, महिला व्यवसाय योजना के 4 व्यवसाय तथा एटीआई (ईपीआई) के दीर्घावधि पाठ्यक्रम के 2 व्यवसाय)।
- कृषि मंत्रालय के अनुरोध पर पहली बार समुद्रीय क्षेत्र के दो व्यवसायों नामत: मैरीन फिटर एवं वैसल नेवीगेटर को शिल्पकार प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत शामिल किया गया।
- विशेषज्ञ समूह द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर अस्पताल अपशिष्ट प्रबंधन/मैकेनिक लैंस/प्रिजम ग्राइंडिंग, साइकोथेरेपी तकनीशियन, मैकेनिक संचार उपकरण अनुरक्षण, कम्प्यूटर सहायित कशीदाकारी एवं सुईकारी, भारी वाहनों की मरम्मत एवं अनुरक्षण मैकेनिक, हल्के वाहनों की मरम्मत एवं अनुरक्षण एवं दुपहिया वाहनों की मरम्मत एवं अनुरक्षण मैकेनिक, जैसे आठ व्यवसायों की पाठ्यचर्या विकसित की गई एवं इन्हें राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद् से अनुमोदित करा लिया गया है। इन व्यवसायों को फरवरी, 2006 से आरंभ होने वाले सत्र से शिल्पकार प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत आरंभ किया जाएगा।
- सूचना प्रौद्योगिकी के उभरते क्षेत्र में "सूचना प्रौद्योगिकी इलैक्ट्रॉनिक्स प्रणाली अनुरक्षण (आईटीईएसएम)" नामक एक व्यवसाय शिल्पकार प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत आरंभ किया गया है। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की वित्तीय सहायता द्वारा इलैक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक या मैकेनिक

रेडियो के वर्तमान व्यवसाय में सुविधाओं के उन्नयन द्वारा 100 सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में उपर्युक्त व्यवसाय को आरंभ करने संबंधी योजना, 33 राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को शामिल करते हुए रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा संयुक्त रूप से आरंभ की गई है। परियोजना के अंतर्गत संचार एवं कम्प्यूटर के क्षेत्र में नवीनतम उपकरणों की व्यवस्था की जाएगी।

28.4 योजना के तहत अब तक निम्नलिखित कार्रवाई पूरी की जा चुकी है:

1. पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान उक्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को आपूर्ति किये गए 3.97 करोड़ रूपये के उपकरणों सहित 100 चुनिंदा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को 8.47 करोड़ रूपये के उपकरणों की आपूर्ति की जा चुकी है।
2. सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (डी आई टी) द्वारा भारतीय इलैक्ट्रानिक्स डिजाइन एवं प्रौद्योगिकी केन्द्र (सीईडीटीआई), मोहाली को चुने गए प्रत्येक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के दो अनुदेशकों की दर से कुल 200 अनुदेशकों को प्रशिक्षित करने हेतु 45 लाख रूपए उपलब्ध करवाए गए। पाँच अलग-अलग बैचों में सभी अनुदेशकों को प्रशिक्षित किया गया है।
3. सिमी द्वारा प्रशिक्षण के प्रथम एवं द्वितीय वर्ष हेतु लिखित अनुदेशात्मक सामग्री (डब्ल्यू आई एम) प्रकाशित की जा चुकी है तथा प्रशिक्षुओं के प्रयोग हेतु उपलब्ध है।

28.5 उक्त परियोजना से हुई बचत से रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा निम्न दो प्रस्ताव आरंभ किए गए:

- आई. टी. एंड ई एस एम व्यवसाय के अनुदेशक के प्रशिक्षण एवं पुनः प्रशिक्षण हेतु रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय के दो संस्थान अर्थात् ए टी आई (ई पी आई) देहरादून एवं ए टी आई (ई पी आई) हैदराबाद में दो मिरर प्रयोगशालाएं स्थापित करना। सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा इन दो संस्थानों को 100 सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को जिस प्रकार के उपकरणों की आपूर्ति की गई उनके समान ही उपकरणों की आपूर्ति की जाएगी। इन संस्थानों को उपकरणों की आपूर्ति आरंभ की जा चुकी है।
- वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान आई टी एम एंड ई एस एम 100 अतिरिक्त अनुदेशकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रथम बैच में 100 में से 33 अनुदेशकों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। 25 अनुदेशकों के प्रशिक्षण का दूसरा सत्र 7 नवम्बर, 2005 से आरंभ किया जा चुका है।
- मॉंट्रियल प्रोटोकॉल (एमपी) जिसमें भारत भी एक हस्ताक्षरकर्ता है, ने उपायों को इस प्रकार से परिभाषित किया गया है कि हस्ताक्षरकर्ता देश 2010 तक क्लोरोफ्ल्यूरो-कार्बन (सीएफसी) सहित सभी ओजोन ह्रासक तत्वों (ओडीएस) का उत्पादन तथा प्रयोग चरणों में सीमित एवं समाप्त करें। इन मार्गदर्शी सिद्धांतों को पूरा करने के लिए भारत में अनेक रेफ्रीजरेटर निर्माता आजकल प्रशीतकों में सीएफसी के स्थान पर एचसी तथा एचएफसी-134-ए (इको फ्रैंडली प्रशीतकों) का उपयोग करते हैं तथा शेष निर्माता भी इको फ्रैंडली पद्धति का ही इस्तेमाल करेंगे। इस संबंध में रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय ने विकास तथा सहयोग हेतु स्विस एजेंसी (एस डी सी) तथा पारिस्थितिकी प्रशीतन हेतु मानवीय एवं संस्थागत विकास (एच आई डी ई सी ओ आर) के सहयोग से शिल्पकार प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत पारिस्थितिकी के अनुकूल प्रशीतकों के घटक सहित मैकेनिक रेफ्रीजरेशन तथा एयर-कंडीशनिंग व्यवसाय के पाठ्यक्रम का संशोधन करने जैसे महत्वपूर्ण प्रयास किए हैं। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों/औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रों के एम आर ए सी व्यवसाय के लगभग 440 अनुदेशकों को आदर्श प्रशिक्षण संस्थान हावड़ा, तथा आदर्श प्रशिक्षण संस्थान हैदराबाद में इको-फ्रैंडली प्रशीतकों में प्रशिक्षण प्रदान

किया गया। जी टी जेड एवं यू एा डी पी ो 60 सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थााों को ाि:शुल्क एम आर सी व्यवसायों के संशोधित पाठ्यचर्या क ` आुसार अतिरिक्त इको- फ्रैंडली उपकरणों की आपूर्ति की है।

देश में व्यावसायि ^ प्रशि र्ि ा ि ा सुविधा ^ ा विस्तार ^ रो हेतु उठाए े ाए ^ दम:

28.6 देश में व्यावसायि ^ प्रशि र्ि ा ि ा सुविधाओं ^ ा पर्याप्त विस्तार ^ रो तथा विद्यमाा मूलभूत सुविधाओं ^ ा अधि ^ तम उपयो े ा ^ रो, पर्याप्त मूलभूत सुविधाओं वाले विभिन्न शैक्षिक/अय संस्थााों/पॉलिटेक्नीकों को औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थााों/केद्रों हेतु प्रशिक्षण मैाुअल में ि-ार्धारित माादंडों के आुरूप दूसरी पाली में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाा चलाो की आुमति दे दी ेाई है।

प्रशि र्ि ा ि ा ^ ो मां ^ आधारित बााो ^` लिए उठाए े ाए ^ दम:

उद्यो े ा-संस्थाा संबंध

28.7 रोज े ाार एवं प्रशि र्ि ा ि ा महाािदेशालय ^` श्रम और रोज े ाार मंत्रालय ^` अधीा उद्यो े ा एवं औद्योि े ा ^ प्रशि र्ि ा ि ा संस्थााों ^` मध्य सहयो े ा में सुधार लाो ^` लिए भारतीय उद्यो े ा परिसंघ (सीआईआई) ^` सहयो े ा से 1998 में "औद्योि े ा ^ प्रशि र्ि ा ि ा संस्थााों हेतु संस्थाा प्रबंधा समिति ^ ा े ाठा" ाामक एक पायलेट परियोजाा आरंभ की। इस संकल्पाा के तहत् उद्योग को भागीदार के रूप में शामिल किया गया है। संस्थाा प्रबंधा समिति में राज्य सरकार, उद्योग, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थााों तथा रोजगार एवं प्रशि र्ि ा ि ा महाि-ादेशालय ^ ा ए^ प्रतिाािधि शामिल है। संस्थाा प्रबंधा समिति (आई एम सी) ^ ी स्थापाा औद्योि े ा ^ प्रशि र्ि ा ि ा संस्थाा ^` ^ ार्य ^ ो बेहतर ^ रो जैसे मशीारी तथा उप ^ र ि ाों ^` बेहतर र र ार र ाव, सं ^ ाय ^` प्रशि र्ि ा ि ा एवं वि ^ ास, ^`म्पस सा र्ि ाात ^ ार आयोजित ^ राा, प्रशि र्ि ा ि ार्थियों ^ ो शि र्ि ाुओं ^` रूप में ाौ ^ री दिलाा, ^ ार्य ^` दौराा प्रशि र्ि ा ि ा दो ^ ी व्यवस्था ^ राा, औद्योि े ा ^ दौरों, राजस्व अर्जा, टूल एवं उपकरण का दाा, व्यावसायिक मार्गदर्शा एवं परामर्श इत्यादि हेतु की गई है। अब तक के आुभव से यह पता चलता है कि संस्थाा प्रबंधा समिति के गठा से औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थााों के कार्य-कलाप में महत्वपूर्ण योगदाा प्राप्त हुआ है। अब तक 28 राज्यों के 480 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थााों में संस्थाा प्रबंधा समिति का गठा किया जा चुका है तथा अय राज्य अपो सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थााों में संस्थाा प्रबंधा समिति ^` े ाठा ^ ी उन्नत अवस्था में हैं।

विशेषज्ञ समूह

28.8 देश ^ ी युवा शक्ति ^ ो बहुत बड़ी सं र या में शामिल ^ रो ^` लिए विद्यमाा पाठ्य^ मों ^ ा अवलो ^ ा ^ रो तथा आधुाि^ एवं अद्यता प्रशिक्षण तथा कौशल विकास कार्यक्रमों को उपलब्ध कराो के लिए एक विशेषज्ञ समूह का ग ाठा किया गया। विशेषज्ञ समूह ो अपाी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है तथा प्रशिक्षण को मांग आधारित बााो के लिए ाोक सिफारिशें की हैं। विशेषज्ञ समूह की ाोक सिफारिशों को राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद् की आुमति से कार्याावित किया गया है।

रोजगार एवं प्रशिक्षण महाादिशालय के अंतर्गत शिल्पकार प्रशि र्ि ा ि ा योजाा:

28.9 शिल्प ^ ार प्रशि र्ि ा ि ा योजाा ^` तहत ाािमलिर्ि ात संस्थााों में प्रशि र्ि ा ि ा प्रदाा ि^ या जाता है:

- लुधियााा, ^ ोल ^ ाता, हैदराबाद, मुम्बई एवं ^ ाापुर स्थित प्रशि र्ि ा ि ा संस्थााों से संबद्ध पांच आदर्श प्रशि र्ि ा ि ा संस्थाा एवं चेन्नई स्थित ^`द्रीय आुदेश ^ प्रशि र्ि ा ि ा संस्थाा।
- ाोएडा, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय महिला व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थाा।
- मुम्बई, बंगलौर, तिरूआातपुरम, हिसार, कोलकाता, तुरा, इंदौर, इलाहाबाद, वडोदरा एवं जयपुर स्थित दस क्षेत्रीय महिला व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थाा (आरवीटीआई)।
- "ाार आदर्श औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाा (एमआईटीआई) माड्यूलर पद्धति पर ाि-ालिखित तीा विशेष क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्रदाा कर रहे हैं। माड्यूलर प्रशिक्षण में उद्योग

की बदलती हुई आवश्यकताओं के आुरूप प्रशिक्षण को पुा: आुकूल बााो की सुविधा है।

- हल्द्वााी (उत्तर प्रदेश) एवं चौद्वार (उड़ीसा) में मेकैािकल समूह के व्यवसाय।
- •ोधपुर (राजस्थाा) में हीट इंजा समूह के व्यवसाय।
- कालीकट (केरल) में इलैक्ट्रीकल एवं इलैक्ट्राािक्स समूह के व्यवसाय।

व्यवसाय परीक्षण एवं प्रमाणीकरण

28.10 रोजगार एवं प्रशिक्षण महाादिेशालय, श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशि ि ा ं ा परिषद् \` तत्वावधाा में अि ाल भारतीय व्यवसाय परी ि ा \ ा आयोजा प्रतिवर्ष जुलाई एवं जावरी में \ या जाता है।

➢ व्यवसाय परी ि ाओं में संबंधा प्राप्त व्यवसायों/इ\ ाईयों \` प्रशि ि ु तथा पात्र प्राइवेट उम्मीदवार बैठते हैं। सफल उम्मीदवारों को राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रमाण-पत्र दिए जाते हैं।

➢ केद्रीय/राज्य सरकार के प्रतिष्ठाों में संगत पदों एवं सेवाओं में भर्ती हेतु राष्ट्रीय व्यावसायिक प्र माण-पत्र एक मायता प्राप्त अर्हता है।

➢ राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद् के तत्वाधाा में जावरी 2005 से दिसम्बर 2005 तक अखिल भारतीय परीक्षाओं के ब्यौरे दिए गए हैं:

○ •ावरी, 2005- अखिल भारतीय शिल्पकार कौशल प्रतियोि ता।
○ •ावरी/फरवरी 2005- अि ाल भारतीय शिल्प आुदेश \ व्यवसाय परी ि ा (मॉड्यूलर पद्धति)।
○ •ावरी 2005- अि ाल भारतीय शिल्प \ ार परी ि ा (पूर \ )।
○ फरवरी 2005- सैय सेवा \ ार्मि \ ों हेतु ऑा द जोब प्रशि ि ा ं ा योजाा।
○ फरवरी 2005- अि ाल भारतीय शिल्प \ ार व्यवसाय परी ि ा (पुा ि ाठित पद्धति)।
○ फरवरी 2005- महिला रोजगार हेतु उच्च कौशल पाठ्यक्रम (पी ओ टी)।
○ मार्च 2005- 74वीं क्षेत्रीय शिक्षु प्रतियोगिता।
○ †प्रैल 2005- अखिल भारतीय शिल्प आुदेशक व्यवसाय परीक्षा (मॉड्यूलर पद्धति)।
○ †प्रैल 2005- अखिल भारतीय शिक्षु व्यवसाय परीक्षा।
○ मई 2005- 74वीं अखिल भारतीय शिक्षु प्रतियोगिता।
○ मई/जूा 2005- महिला रोजगार हेतु उच्च क ौशल पाठ्यक्रम (पी ओ टी)।
○ मई/जूा 2005- वास्तुविदीय सहायक (महिला) में उच्च कौशल पाठ्य\ म।
○ •ुलाई 2005- अि ाल भारतीय शिल्प \ ार परी ि ा।
○ •ुलाई 2005- अि ाल भारतीय शिल्प आुदेश \ व्यवसाय परी ि ा।
○ •ुलाई 2005- अि ाल भारतीय शिल्प आुदेश \ व्यवसाय परी ि ा (मॉड्यूलर पद्धति)।
○ † ि ास्त 2005- सैय सेवा \ ार्मि \ ों हेतु ऑा द जोब प्रशि ि ा ं ा योजाा।
○ † ि ास्त 2005- अि ाल भारतीय शिल्प \ ार परी ि ा (पुा ि ाठित पद्धति)।
○ सितम्बर 2005- 18वीं सी आई आई \ ी ि ेत्रीय \ ार्य \ ौशल प्रतियोि ता।
○ सितम्बर 2005- 75वीं ि ेत्रीय शिक्षु प्रतियोगिता।
○ †क्तूबर 2005- अखिल भारतीय शिक्षु व्यवसाय परीक्षा।
○ †क्तूबर 2005- महिला रोजगार हेतु उच्च क ौशल पाठ्यक्रम (पी ओ टी)।
○ †क्तूबर 2005- अखिल भारतीय शिल्प अ-ुदेशक व्यवसाय परीक्षा (मॉड्यूलर पद्धति)।
○ ावम्बर 2005- 75वीं अखिल भारतीय शिक्षु प्रतियोगिता।
○ दिसम्बर 2005- सी आई आई का 18वां राष्ट्रीय कार्य कौशल फाइाल।

शिल्पकारों हेतु अखिल भारतीय कौशल प्रतियोगिता

28.11 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाों/औद्योगिक प्रशिक्षण केद्रों के प्रशिक्षुओं में स्वस्थ प्रतियोगिता क ी भावाा को जागृत करो के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक अखिल भारतीय कौशल प्रतियोगिता वर्ष 1964 में आरंभ की गई।

28.12 14 व्यवसायों अर्थात् इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक इलैक्ट्रानिक्स मैकेनिक, वेल्डर, फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, मैकेनिक (मोटर वाहन), फाउंडरीमैन, इलैक्ट्रीशियन, कटाई एवं सिलाई, कम्प्यूटर ऑपरेटर तथा प्रोग्रामिंग सहायक, नक्शानवीस (सिविल), नक्शानवीस (मैकेनिकल) तथा मैकेनिक डीजल में प्रत्येक वर्ष प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं।

28.13 राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में उपर्युक्त व्यवसायों के उत्कृष्ट प्रशिक्षु अखिल भारतीय कौशल प्रतियोगिता में भाग ले सकता है। उक्त 14 व्यवसायों में से अखिल भारतीय स्तर के सर्वश्रेष्ठ शिल्पकारों में से प्रत्येक को योग्यता प्रमाण-पत्र और 10,000 रूपये का नकद पुरस्कार दिया जाता है। प्रत्येक व्यवसाय में सर्वश्रेष्ठ घोषित ऐसे औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान को योग्यता प्रमाण-पत्र दिया जाता है, जिसके प्रशिक्षणार्थी राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिता में प्रथम आए हैं। सर्वश्रेष्ठ राज्य को एक योग्यता प्रमाण-पत्र और रनिंग शील्ड प्रदान की जाती है, जिसके प्रशिक्षणार्थियों ने सभी व्यवसायों में सर्वाधिक कुल अंक प्राप्त किए हैं।

पिछले पांच प्रतियोगिताओं के दौरान सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार विजेता:

क्र. सं	प्रतियोगिता	वर्ष तथा माह में आयोजित	सर्वश्रेष्ठ राज्य/संघ शासित प्रदेश का नाम
1.	37वीं	जनवरी 2001	तमिलनाडु
2.	38वीं	दिसम्बर 2001	तमिलनाडु
3.	39वीं	जनवरी 2003	महाराष्ट्र
4.	40वीं	जनवरी 2004	तमिलनाडु
5.	41वीं	जनवरी 2005	महाराष्ट्र

28.14 भारतीय उद्योग संघ (सीआईआई) 1989 से 'राष्ट्रीय कार्य कौशल प्रतियोगिता' आयोजित करता आ रहा है ताकि कौशलों में निपुणता की पहचान करके भारत में इंजीनियरिंग उद्योग में कामगारों को प्रोत्साहित किया जा सके तथा कामगारों को उनके कौशलों में वृद्धि करने की आवश्यकता के बारे में जागरूक किया जा सके। इलैक्ट्रीशियन, फिटर, औद्योगिक इलैक्ट्रॉनिक्स, मिलर, टूल एवं डाई मेकर, टर्नर एवं वेल्डर नामक सात व्यवसायों में प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। कौशल प्रतियोगिताओं का आयोजन रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय के क्षेत्रीय संस्थानों में किया जाता है और इन्हें श्रम और रोजगार मंत्रालय की मान्यता प्राप्त है।

भूतपूर्व सैनिकों का प्रशिक्षण:

28.15 रक्षा सेवा के उन कार्मिकों के प्रशिक्षण के लिए विशेष कार्यक्रम चलाए जाते हैं जो सेवानिवृत होने वाले हैं या सेवानिवृत्त हो गए हैं। पुनर्वास महानिदेशालय (डीजीआर) के सहयोग से रक्षा मंत्रालय में उनके प्रशिक्षण के लिए निम्नलिखित योजनाएं कार्यान्वित की जा रही है:-

- ❖ रक्षा सेवा कार्मिकों के लिये प्री-कम-पोस्ट रिलीज ट्रेनिंग (पीसीपीआरटी)।
- ❖ रक्षा सेवा कार्मिकों के लिये ऑन-दी-जॉब ट्रेनिंग (ओजेटी) स्कीम।

28.16 पूरे देश में स्थापित विभिन्न औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में सेवानिवृत होने वाले सेवा कार्मिकों को 'पीसीपीआरटी' प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। इसका उद्देश्य सेवानिवृत होने वाले सेवा कार्मिकों को उपयुक्त व्यवसाय में कौशल उपलब्ध कराना है ताकि उन्हें राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण-पत्र के रूप में मान्यता प्राप्त योग्यता हासिल हो सके। प्रशिक्षणार्थियों की प्रतिनियुक्ति डीजीआर द्वारा उनके सेवानिवृत होने से पहले की जाती है और सम्पूर्ण देश में स्थापित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों से इस प्रयोजन हेतु 4000 सीटें निर्धारित की गई हैं।

28.17 अगस्त 2000 से आरंभ होने वाले सत्र से सेवानिवृत होने वाले रक्षा सेवा कार्मिकों के लाभ के लिए आरक्षित सीटों को 1000 से बढ़ाकर 4000 से भी अधिक कर दिया गया है। इस योजना का विस्तार देश के 28 राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के 410 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में करने का निर्णय लिया गया है। इनमें से 378 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में सुविधाओं को उन्नयन विश्व बैंक सहायित व्यावसायिक प्रशिक्षण परियोजना के तहत् किया गया तथा पुराने एवं अप्रचलित उपकरणों को बदला गया तथा अन्य सुविधाओं का भी उन्नयन किया गया।

28.18 प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे रक्षा सेवा कार्मिकों की भागीदारी को बढ़ावा दो के लिए उासे शुल्क वसुलो की प्रक्रिया को सरल बााया गया है।

28.19 'ऑा-दी-जॉब' ट्रेािंग स्कीम 1981 में शुरू की ग ाई थी। इस योजाा के तहत् औद्योगिक उद्यमों द्वारा 10 विभिन्न व्यवसायों में डीजीआर के परामर्श से तैयार किए ग ाए पाठ्यक्रम के आधार पर सेवाावृित होो वाले रक्षा सेवा के कार्मिकों के लिए कौशल प्रशिक्षण संबंधी विशेष कार्यक्रम चलाए जाते हैं। प्रशिक्षण की अवधि 9 माह है। प्रशिक्षण पूरा होो पर, रोजगार एवं प्रशिक्षण महाादिेशालय एासीवीटी के तत्वाधाा में अपो क्षेत्रीय संस्थााों में व्यवसाय परीक्षा आयोजित करता है तथा सफल प्रशिक्षुओं को व्यवसाय प्र माण-पत्र प्रदाा किए जाते हैं।

"सी पी एस ई के छंटीशुदा कामगारों को परामर्श, पुाः प्रशिक्षण, पुाः ाियोजा" योजाा के तहत पुाः प्रशिक्षण क ार्यक्रम

28.20 उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग (डीओआईडी) ो जुलाई 1991 से राष्ट्रीय ावीकरण ािधि योजाा को स्वैच्छिक सेवाावृित लोो वाले, अधिशेष घोषित अथवा संगठित क्षेत्र से 24.07.1991 के बाद छंटीशुदा क ामगारों को पुाः प्रशिक्षण प्रदाा करो हेतु कार्याावित किया। श्रम और रोजगार मंत्रालय में रोजगार एवं प्रशिक्षण महा-ादेशालय ो डी ओ आई डी के एक ाोडल ऐजेंसी के रूप में जूा 1995 से इस योजाा का कार्याावित कराा आरंभ किया।

28.21 विभिन्न ाोडल ऐजेंसियों द्वारा राष्ट्रीय ावीकरण ि-ाधि योजाा के अंतर्गत लगभग 53,574 कामगारों को प्रशिक्षित तथा इामें से 18,750 को पुाः ाियोजित किया ग ाया। शिल्पकार प्रशिक्षण योजाा के अंतर्गत उपलब्ध व्यवसायों में रोजगार एवं प्रशिक्षण महाादिेशालय द्वारा 50 दिा की अवधि के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित किए गए। रोजगार एवं प्रशिक्षण महा-ादेशालय द्वारा लगभग 15900 कामगारों को प्रशिक्षित किया गया तथा इामें से लगभग 4808 क ामगारों को स्व/वेता रोजगार में लगाया गया। रोजगार एवं प्रशिक्षण महाादिेशालय ो इस योजाा पर 7.74 करोड़ रूपये व्यय किए।

28.22 तदाुसार, सार्वजािक उपक्रम विभाग (डी पी ई) ो केंद्रीय सार्वजािक क्षेत्र के उद्यमों के छंटाी शुदा कामगारों को परामर्श, पुाः प्रशिक्षण तथा पुाः ाियोजा योजाा को 1 अप्रैल 2001 से अपो हाथ में ले लिया। रोजगार एवं प्रशिक्षण महाादिेशालय की उपर्युक्त योजाा के कार्याावया हेतु 34 ाोडल ऐजेंसियों में रोजगार एवं प्रशिक्षण महाादिेशालय को भी रखा गया। मार्च 2005 तक 3635 छंटीशुदा क ामगारों के लक्ष्य की तुलाा में कुल 4310 कामगारों को प्रशिक्षित किया गया जिामें से 1839 कामगारों को पुाः ाियोजित किया गया। इस अवधि के दौराा 143.95 लाख रू. के समग्र बजट का उपयोग किया गया।

28.23 वित्तीय वर्ष 2005-06 के दौराा, सरकारी उद्यम विभाग ो रोजगार एवं प्रशिक्षण महाादिेशालय के सी पी एस ई के 600 छंटीशुदा कामगारों के प्रशिक्षण का लक्ष्य ािर्धारित किया है जिसके लिए ाव म्बर 2005 में ािधियों के जारी किए जाो की संभाव-ाा है।

†ुबंध-28.1

30.01.2005 की स्थिति के †ुसार विभिन्न राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में सीट क्षमता सहित सरकारी व ाजी औ.प्र.सं./औ.प्र. केंद्रों की क्षेत्रवार संख्या दर्शाती विवरणी

क्रम सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश का ाम	सरकारी औ.प्र.सं. की संख्या	सीट क्षमता (सरकारी)	ाजी औ.प्र.क ेंद्रों की संख्या	सीट क्षमता (ाजी)	कुल औ.प्र. सं./औ..प्र. क ेंद्र	कुल सीट क्ष मता
			उत्तरी क्षेत्र				
1.	हरियाणा	81	13477	25	1428	106	14905
2.	हिमाचल प्रदेश	55	5649	8	980	63	6629
3.	•ाम्मू व कश्मीर	38	4332	0	0	38	4332
4.	पंजाब	110	14351	71	4716	181	19067
5.	राजस्थाा	91	9472	45	3868	136	13340
6.	उत्तर प्रदेश	185	38644	128	13284	313	51928
7.	“ंडीगढ़	2	1048	0	0	2	1048
8.	दिल्ली	14	9364	48	2548	62	11912
9.	उत्तरांचल	57	6088	16	1592	73	7680
	उप-योग	633	102425	341	28416	974	130841
			दक्षिणी क्षेत्र				
1.	*आंध्र प्रदेश	92	24239	476	87346	568	111585
2.	कार्ाटक	131	21340	610	38576	741	59916
3.	केरल	82	16176	467	43945	549	60121
4.	तमिलााडु	71	24812	605	62191	676	87003
5.	लक्षद्वीप	1	96	0	0	1	96
6.	पांडिचेरी	7	1336	8	664	15	2000
	उप-योग	384	87999	2166	232722	2550	320721
			पूर्वी क्षेत्र				
1.	†रुणाचल प्रदेश	2	368	0	0	2	368
2.	†सम	24	4536	3	84	27	4620
3.	बिहार	29	10496	29	4472	58	14968
4.	—ारखंड	14	2564	22	3124	36	5688
5.	मणिपुर	7	540	0	0	7	540
6.	मेघालय	5	622	2	320	7	942
7.	मिजोरम	1	294	0	0	1	294
8.	ाागालैंड	3	404	0	0	3	404
9.	उड़ीसा	27	7328	147	16660	174	23988
10.	सिक्किम	1	140	0	0	1	140
11.	त्रिपुरा	4	416	0	0	4	416
12.	प. बंगाल	49	11956	18	964	67	12920
13.	†ंडमाा व ािकोबार द्वीप समूह	1	220	0	0	1	220
	उप-योग	167	39884	221	25624	388	65508
			पश्चिमी क्षेत्र				
1.	गोवा	11	2652	4	420	15	3072
2.	गुजरात	135	70500	129	16626	264	87126
3.	मध्य प्रदेश	136	19538	33	2860	169	22398
4	”त्तीसगढ़	80	8984	57	5880	137	14864
5.	महाराष्ट्र	347	67390	267	29794	614	97184
6.	दादर व ागर हवेली	1	228	0	0	1	228
7.	दमा व दीव	2	388	0	0	2	388
	उप-योग	712	169680	490	55580	1202	225260
	कुल योग	1896	399988	3218	342342	5114	742330

†ुबंध 28.3

01.08.2005 की स्थिति के आुसार शिल्पकार प्रशिक्षण योजाा (सी टी एस)के अंतर्गत इंजीियरी और गैर-इंजीियरी व्यवसायों की सूची।

‡जीियरी व्यवसाय

क्रम संख्या	व्यवसाय का ााम	प्रशिक्षण की अवधि	प्रवेश के लिए योग्यता
1.	फाउड्रीमै	1 वर्ष	10+2 शिक्षा पद्धति के अंतर्गत 8वीं कक्षा पास या इसके समकक्ष।
2.	शीट मैटल कार्मिक	1 वर्ष	10+2 शिक्षा पद्धति के अंतर्गत 8वीं कक्षा पास या इसके समकक्ष।
3.	प्लास्टिक प्रोसैसिंग आपरेटर	1 वर्ष	10+2 शिक्षा पद्धति के अंतर्गत 10वीं कक्षा पास या इसके समकक्ष।
4.	सामाय पेंटर	2 वर्ष	8वीं कक्षा पास या इसके समकक्ष।
5.	फिटर	2 वर्ष	10+2 शिक्षा पद्धति के अंतर्गत 10वीं कक्षा पास या इसके समकक्ष।
6.	™र	2 वर्ष	10+2 शिक्षा पद्धति के अंतर्गत 10वीं कक्षा पास या इसके समकक्ष।
7.	मशीिस्ट	2 वर्ष	10+2 शिक्षा पद्धति के अंतर्गत 10वीं कक्षा पास या इसके समकक्ष।
8.	™ूल व डाई मेकर (प्रेस टूल्स, जिग्स एवं फिक्शचर्स)	3 वर्ष	10+2 शिक्षा पद्धति के अंतर्गत विज्ञाा विषय के साथ 10वीं कक्षा पास या इसके समकक्ष।
9.	™ूल एवं डाई मेकर (डाईज एवं मोल्ड्स)	3 वर्ष	10+2 शिक्षा पद्धति के अंतर्गत विज्ञाा विषय के साथ 10वीं कक्षा पास या इसके समकक्ष।
10.	मशीिस्ट (ग्रांइडर)	2 वर्ष	10+2 शिक्षा पद्धति के अंतर्गत 10वीं कक्षा पास या इसके समकक्ष।
11.	‡लैक्ट्रोप्लेटर	2 वर्ष	10+2 शिक्षा पद्धति के अंतर्गत 10वीं कक्षा पास या इसके समकक्ष।
12.	मेकेिक कृषि मशीिरी	2 वर्ष	(1) अिवार्य:- 10+2 शिक्षा पद्धति के अंतर्गत 8वीं कक्षा पास या इसके समकक्ष। (2) वांछीय:- 10+2 शिक्षा पद्धति के अंतर्गत, एक विषय के रूप में विज्ञाा (भौतिकी और रसाया विज्ञाा सहित) के साथ 10वीं कक्षा पास।
13.	‡स्ट्रूमेंट मैकेिक	2 वर्ष	10+2 शिक्षा पद्धति के अंतर्गत एक विषय के रूप में विज्ञाा के साथ 10वीं कक्षा पास या इसके समकक्ष।
14.	ाक्शाावीस (मैकेिकल)	2 वर्ष	10+2 शिक्षा पद्धति के अंतर्गत विज्ञाा और गणित विषयों के साथ 10वीं कक्षा पास या इसके समकक्ष।
15.	†ुरक्षण मैकेिक (रासायिक संयंत्र)	2 वर्ष	10+2 शिक्षा पद्धति के अंतर्गत भौतिकी, रसाया और गणित विषयों के साथ 10वीं कक्षा पास या इसके समकक्ष।
16.	‡स्ट्रूमेंट मैकेिक (रासायिक संयंत्र)	(क) 2 वर्ष	10+2 शिक्षा पद्धति के अंतर्गत भौतिकी, रसाया और गणित विषयों के साथ 10वीं कक्षा पास या इसके स

		(ख) 6 माह	मकक्ष। भौतिकी और रसाया विषयों के साथ बीएससी पास।
17.	†™डेंट आपरेटर (रासायाकि संयंत्र)	(क)2 वर्ष (ख) 6 माह	10+2 शिक्षा पद्धति के अंतर्गत भौतिकी, रसाया और गणित विषयों के साथ 10वीं कक्षा पास या इसके समकक्ष। भौतिकी और रसाया विषयों के साथ बीएससी पास।
18.	प्रयोगशाला सहायक (रासायनिक संयंत्र)	(क)2 वर्ष (ख)6 माह	10+2 शिक्षा पद्धति के अंतर्गत भौतिकी, रसाया और गणित विषयों के साथ 10वीं कक्षा पास या इसके समकक्ष। भौतिकी और रसाया विषयों के साथ बीएससी पास।
19.	सूचाा प्रौद्योगिकी व इलैक्ट्रॉनिक्स पद्धति आुरक्षण	2 वर्ष	10+2 शिक्षा पद्धति के अंतर्गत 10वीं कक्षा पास। वांछीय:- गणित और भौतिकी विषयों के साथ 12वीं कक्षा पास।
20.	मैकेनिक इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स	2 वर्ष	भौतिकी, रसाया और गणित विषयों के साथ 12वीं कक्षा पास।
21.	मैकेनिक मैक्ट्रॉनिक्स	2 वर्ष	भौतिकी, रसाया और गणित विषयों के साथ 10+2वीं कक्षा पास।
22.	†ापरेटर एडवांस मशीा टूल्स	2 वर्ष	भौतिकी, रसाया और गणित विषयों के साथ 12वीं कक्षा पास।
23.	वैल्डर(गैस और बिजली)	1 वर्ष	10+2 शिक्षा पद्धति के अंतर्गत 8वीं कक्षा पास या इसके समकक्ष।
24.	बढ़ई	1 वर्ष	10+2 शिक्षा पद्धति के अंतर्गत एक विषय के रूप में विज्ञाा के साथ 8वीं कक्षा पास या इसके समकक्ष।
25.	मैकेनिक (डीजल)	1 वर्ष	10+2 शिक्षा पद्धति के अंतर्गत 10वीं कक्षा पास या इसके समकक्ष।
26.	प्लम्बर	1 वर्ष	10+2 शिक्षा पद्धति के अंतर्गत 8वीं कक्षा पास या इसके समकक्ष।
27.	मैसा (भवा िर्माता)	1 वर्ष	10+2 शिक्षा पद्धति के अंतर्गत 8वीं कक्षा पास या इसके समकक्ष।
28.	मैकेनिक (ट्रैक्टर)	1 वर्ष	(1) अिवार्य:- 10+2 शिक्षा पद्धति के अंतर्गत 8वीं कक्षा पास या इसके समकक्ष। (2) वांछीय:- 10+2 शिक्षा पद्धति के अंतर्गत, एक विषय के रूप में विज्ञाा (भौतिकी और रसाया विज्ञाा सहित) के साथ 10वीं कक्षा पास या समकक्ष।
29.	पम्प आपरेटर कम मैकेनिक	1 वर्ष	10+2 शिक्षा पद्धति के अंतर्गत विज्ञाा विषय के साथ 10वीं कक्षा पास या इसके समकक्ष।
30.	वायरमैा	2 वर्ष	8वीं कक्षा पास या इसके समकक्ष।
31.	मैकेनिक (मोटर वाहा)	2 वर्ष	10+2 शिक्षा पद्धति के अंतर्गत 10वीं कक्षा पास या इसके समकक्ष।

32.	बिजली मिस्त्री	2 वर्ष	10+2 शिक्षा पद्धति के अंतर्गत 10वीं कक्षा पास या इसके समकक्ष।
33.	मैकेनिक (रेडियो एवं टी वी)	2 वर्ष	10+2 शिक्षा पद्धति के अंतर्गत 10वीं कक्षा पास या इसके समकक्ष।
34.	मैकेनिक-कम-आपरेटर इलैक्ट्रानिक्स संचार प्रणाली	2 वर्ष	10+2 शिक्षा पद्धति के अंतर्गत 10वीं कक्षा पास या इसके समकक्ष।
35.	मैकेनिक (प्रशीता व वातानुकूला)	2 वर्ष	10+2 शिक्षा पद्धति के अंतर्गत विज्ञान और गणित विषयों के साथ 10वीं कक्षा पास या इसके समकक्ष।
36.	मैकेनिक मशीन टूल्स अनुरक्षण	3 वर्ष	विज्ञान और गणित विषयों के साथ मैट्रिकुलेशन या इसके समकक्ष।
37.	नक्शानवीस (सिविल)	2 वर्ष	10+2 शिक्षा पद्धति के अंतर्गत विज्ञान और गणित विषयों के साथ 10वीं कक्षा पास या इसके समकक्ष।
38.	सर्वेक्षक	2 वर्ष	10+2 शिक्षा पद्धति के अंतर्गत विज्ञान और गणित विषयों के साथ 10वीं कक्षा पास या इसके समकक्ष।
39.	‡लैक्ट्रानिक मैकेनिक	2 वर्ष	10+2 शिक्षा पद्धति के अंतर्गत विज्ञान और गणित विषयों के साथ मैट्रीकुलेशन पास या इसके समकक्ष।
40.	भवन अनुरक्षण	6 माह	10+2 शिक्षा पद्धति के अंतर्गत 10वीं कक्षा पास या इसके समकक्ष।
41.	†ांतरिक सज्जा एवं डिजाइनिंग	1 वर्ष	10+2 शिक्षा पद्धति के अंतर्गत 10वीं कक्षा पास।
42.	मैकेनिक आटो इलैक्ट्रिकल एवं इलैक्ट्रानिक्स	6 माह	10+2 शिक्षा पद्धति के अंतर्गत विज्ञान और गणित विषयों के साथ 10वीं कक्षा पास या इसके समकक्ष।
43.	सोटरी हार्डवेयर फिटर	6 माह	10+2 शिक्षा पद्धति के अंतर्गत 8वीं कक्षा पास या इसके समकक्ष।
44.	लिफ्ट मैकेनिक	2 वर्ष	10+2 शिक्षा पद्धति के अंतर्गत विज्ञान विषय के साथ 10वीं कक्षा पास या इसके समकक्ष।
45.	वास्तुविदीय सहायक	1 वर्ष	गणित में 40% अंक सहित 10वीं कक्षा पास या 10+2 शिक्षा पद्धति के अंतर्गत माध्यमिक कक्षा पास या इसके समकक्ष।
46.	मैकेनिक कम्प्यूटर हार्डवेयर	2 वर्ष	‹क विषय के रूप में भौतिकी सहित 10+2 या इंटर या प्री-यूनिवर्सिटी पास।
47.	मैकेनिक मैडिकल इलैक्ट्रानिक्स	2 वर्ष	10+2 शिक्षा पद्धति के अंतर्गत विज्ञान और गणित विषयों के साथ 10वीं कक्षा पास या इसके समकक्ष।
48.	मैकेनिक कंज्यूमर इलैक्ट्रानिक्स	2 वर्ष	10+2 शिक्षा पद्धति के अंतर्गत विज्ञान और गणित विषयों के साथ 10वीं कक्षा पास या इसके समकक्ष।
49.	मेरीन फिटर	2 वर्ष	10+2 शिक्षा पद्धति के अंतर्गत विज्ञान और गणित विषयों के साथ 50% अंकों सहित 10वीं कक्षा पास या इसके समकक्ष।
50.	पाल नौका नाविक	2 वर्ष	10+2 शिक्षा पद्धति के अंतर्गत विज्ञान और गणित विषयों के साथ 50% अंकों सहित 10वीं कक्षा पास या इसके समकक्ष।

□Öî¸ü ‡Ó•Öß×ÖµÖ¸üß ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ

1.	मशीन और हाथ से कढ़ाई	1 वर्ष	8वीं कक्षा पास या इसके समकक्ष।
2.	बेंत बीरा और बांस कर्मकार	1 वर्ष	8वीं कक्षा पास या इसके समकक्ष।
3.	रेशमी तथा ऊनी वस्त्रों की बुनाई	1 वर्ष	8वीं कक्षा पास या इसके समकक्ष।
4.	‰ नी वस्त्रों की बुनाई	1 वर्ष	8वीं कक्षा पास या इसके समकक्ष।

5.	•ूतों का विर्माण	1 वर्ष	10+2 शिक्षा पद्धति के अंतर्गत 8वीं कक्षा पास या इसके समकक्ष।
6.	“ामड़े का समाा बाो वाला	1 वर्ष	10+2 शिक्षा पद्धति के अंतर्गत 8वीं कक्षा पास या मैट्रिकुलेशा परीक्षा से दो स्तर ाीचे उत्तीर्ण या इसके स मकक्ष।
7.	्रेस मेकिंग	1 वर्ष	मैट्रिकुलेशा पास या इसके समकक्ष या 10+2 शिक्षा पद्धति के अंतर्गत 10वीं कक्षा पास।
8.	बेकर और कफे्क्शार	1 वर्ष	10+2 शिक्षा पद्धति के अंतर्गत 10वीं कक्षा पास या इसके समकक्ष।
9.	ेस्क टॉप प्रकाशा संचालक	1 वर्ष	(क) 10+2 शिक्षा पद्धति के अंतर्गत 12वीं कक्षा पास या इसके समकक्ष। (ख) अंग्रेजी में 30 श.प्र.मि. की टंकण गति। वांछीय:- क्षेत्रीय भाषा में 30 श.प्र.मि. की टंकण गति।
10.	कम्प्यूटर आपरेटर एवं प्रोग्रामिग सहायक	1 वर्ष	10+2 शिक्षा पद्धति के अंतर्गत 12वीं कक्षा पास या 10वीं कक्षा के पश्चात तीा वर्षीय अवधि का किसी पॉलिटेक्कि से मायता प्राप्त इंजीायिरी में डिप्लोमा।
11.	कटाई एवं सिलाई	1 वर्ष	8वीं कक्षा पास या इसके समकक्ष।
12.	फलों और सब्जियों का प्रसंस्करण	1 वर्ष	10+2 शिक्षा पद्धति के अंतर्गत विज्ञाा विषय के साथ 10वीं कक्षा पास या इसके समकक्ष।
13.	फोटोग्राफर	1 वर्ष	10+2 शिक्षा पद्धति के अंतर्गत भौतिकी एवं रसाया विषयों के साथ 10वीं कक्षा पास या इसके समकक्ष।
14.	विरंजा रंगाई व कैलीको छपाई	1 वर्ष	10+2 शिक्षा पद्धति के अंतर्गत विज्ञाा और गणित विषयों के साथ 10वीं कक्षा पास या इसके समकक्ष।
15.	ाशुलिपि (अंग्रेजी)	1 वर्ष	12वीं कक्षा पास
16.	सचिवालय पद्धति	1 वर्ष	12वीं कक्षा पास
17.	ाशुलिपि (हिदी)	1 वर्ष	12वीं कक्षा पास
18.	केश व त्वचा की देखभाल	1 वर्ष	10वीं कक्षा पास या इसके समकक्ष।
19.	स्टीवर्ड	1 वर्ष	10+2 शिक्षा पद्धति के अंतर्गत 10वीं कक्षा पास या इसके समकक्ष।
20.	शिल्पकार खाद्य उत्पादा (सामाय)	1 वर्ष	10+2 शिक्षा पद्धति के अंतर्गत 10वीं कक्षा पास या इसके समकक्ष।
21.	शिल्पकार खाद्य उत्पादा (शाकाहारी)	1 वर्ष	10+2 शिक्षा पद्धति के अंतर्गत 10वीं कक्षा पास या इसके समकक्ष।
22.	प्रोसेस कैमरामैा	1 वर्ष	10+2 शिक्षा पद्धति के अंतर्गत एक विषय के रूप में विज्ञाा के साथ 10वीं कक्षा पास या इसके समकक्ष।
23.	प्लेट मेकर-कम-इम्पोजीटर	1 वर्ष	10+2 शिक्षा पद्धति के अंतर्गत एक विषय के रूप में विज्ञाा के साथ 10वीं कक्षा पास या इसके समकक्ष।
24.	लीथो-ऑफ्सेट मशीा माइंडर	1 वर्ष	10+2 शिक्षा पद्धति के अंतर्गत एक विषय के रूप में विज्ञाा के साथ 10वीं कक्षा पास या इसके समकक्ष।
25.	्राइवर कम मेकेाकि (हल्के मोटर वाहा)	6 माह	10+2 शिक्षा पद्धति के अंतर्गत 10वीं कक्षा पास।
26.	›ाटा एंट्री ऑपरेटर	6 माह	ाविार्य:- (i) 10वीं कक्षा पास (ii) अंग्रेजी में 30 श.प्र.मि. की टंकण गति। वांछीय:- हिदी / किसी स्थाीय भाषा में 30 श.प्र.मि. की टंकण गति।

27.	TMूरिस्ट गाईड	6 माह	10+2 शिक्षा पद्धति के अंतर्गत 12वीं कक्षा पास या इसके समकक्ष।
28.	पुष्प कृषि एवं लैंडस्केपिंग	6 माह	प्रमुख विषय के रूप में जीव-विज्ञाा सहित 12वीं कक्षा पास या कृषि-उद्याा कृषि में व्यावसायिक प्रशिक्षण।
29.	स्वास्थ्य स्वच्छता ािरीक्षक	1 वर्ष	10+2 शिक्षा पद्धति के अंतर्गत 10वीं कक्षा में विज्ञाा विषय के साथ 12वीं कक्षा पास। भौतिकी, रसाया एवं जीवविज्ञाा विषयों वाले प्रशिक्षुओं को प्राथमिकता दी जाएगी।
30.	†स्पताल हाउस कीपिंग	1 वर्ष	10+2 शिक्षा पद्धति के अंतर्गत भौतिकी, रसाया एवं जीवविज्ञाा विषयों के साथ 12वीं कक्षा पास।
31.	दंत प्रयोगशाला तकाीशिया	2 वर्ष	10+2 शिक्षा पद्धति के अंतर्गत 10वीं कक्षा पास।
32.	मैडिकल ट्राँस्क्रिप्शा	6 माह	प्रमुख विषय के रूप में जीव-विज्ञाा / शरीर-विज्ञाा सहित 10+2 शिक्षा पद्धति के अंतर्गत 12वीं कक्षा पास। अंग्रेजी भाषा का ज्ञाा आिवार्य है।
33.	उद्याा कृषि	1 वर्ष	प्रमुख विषय के रूप में जीवविज्ञाा सहित 12वीं कक्षा पास या कृषि-उद्याा कृषि में व्यावसायिक प्रशिक्षण।
34.	पुस्तकालय एवं सूचाा विज्ञाा	6 माह	10+2 शिक्षा पद्धति के अंतर्गत 12वीं कक्षा पास या इसके समकक्ष।
35.	बीमा ऐजेंट	6 माह	10+2 शिक्षा पद्धति के अंतर्गत 12वीं कक्षा पास या इसके समकक्ष।
36.	‡स्टीट्यूश हाउस कीपिंग	6 माह	10+2 शिक्षा पद्धति के अंतर्गत 10वीं कक्षा पास।
37.	कार्पोरेट हाउस कीपिंग	6 माह	10+2 शिक्षा पद्धति के अंतर्गत 10वीं कक्षा पास।
38.	›मेस्टिक हाउस कीपिंग	6 माह	10+2 शिक्षा पद्धति के अंतर्गत 10वीं कक्षा पास।
39.	वृद्धावस्था देखभाल	6 माह	10+2 शिक्षा पद्धति के अंतर्गत 8वीं कक्षा पास।
40.	ोटवर्क तकाीशिया	6 माह	10+2 शिक्षा पद्धति के अंतर्गत 12वीं कक्षा पास या इसके समकक्ष।
41.	प्रि/प्रिपरेटरी स्कूल प्रबंधा (सहायक)	6 माह	10+2 शिक्षा पद्धति के अंतर्गत 10वीं कक्षा पास।
42.	शिशु सदा प्रबंधा	6 माह	10+2 शिक्षा पद्धति के अंतर्गत 10वीं कक्षा पास।
43.	केबिा / रूम अटेंडेंट	6 माह	(i)10+2 शिक्षा पद्धति के अंतर्गत 10वीं कक्षा पास। (ii) अंग्रेजी एवं हिंदी का कार्य साधक ज्ञाा।
44.	›यरिंग	1 वर्ष	10+2 शिक्षा पद्धति के अंतर्गत 10वीं कक्षा पास।
45.	डिजीटल फोटोग्राफर	1 वर्ष	10+2 शिक्षा पद्धति के अंतर्गत 12वीं कक्षा पास या इसके समकक्ष।
46.	‡वेंट प्रबंधा सहायक	6 माह	10+2 शिक्षा पद्धति के अंतर्गत 10वीं कक्षा पास या इसके समकक्ष। (एक विषय के रूप में अंग्रेजी सहित)
47.	फैशा प्रौद्योगिकी	1 वर्ष	10+2 शिक्षा पद्धति के अंतर्गत 12वीं कक्षा पास या इसके समकक्ष।
48.	फ्रंट आफिस सहायक	6 माह	10+2 शिक्षा पद्धति के अंतर्गत 10+2 कक्षा पास या इसके समकक्ष। (एक विषय के रूप में अंग्रेजी सहित)